न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 25/2023

GCMS No- 2023/42

श्रीमती केसर बाई पत्नी भगवान लाल जी जाति जाट आयु 60 वर्ष निवासी मकनपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.... प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा राज०

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136, भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – स्वयं उपस्थित

::निर्णय:: दिनांक 28.04.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,1321,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया की खातेदारी व अधिपत्य की कृषि भूमि वाके मोजा मकनपुरा तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 35 की आराजी नं0 81 रकबा 0.13 हेक्टेयर स्थित है जिसका भू प्रबंध पूर्व आराजी नं0 582/504/16 था उक्त भूमि मे खातेदार प्रार्थिया के पति का नाम भू प्रबंध कार्मिकों की त्रुटी से भगवान लाल की जगह हीरालाल अंकित हो गया है जब कि प्रार्थिया के ससुर का नाम हीरालाल है। भू प्रबंध पूर्व की जमाबंदी में भी प्रार्थिया के पति का नाम भगवान लाल जाट अंकित है परन्तु भू प्रबंध कर्मिको की लापरवाही से भू प्रबंध लागू होने के बाद पति भगवानलाल की जगह ससुर हीरालाल का नाम अंकित हो गया है जिसके सम्बंध में प्रार्थिया ने विपक्षी से उक्त त्रुटी को दुरूस्त करने हेतु कई बार निवदेन किया परन्तु उन्होने इस संदर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही नही की इस कारण मजबुर होकर प्रार्थिया को यह आवेदन पत्र अपने खाते में दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्रीमती केसर बाई पत्नी [illegible] निवासी मकनपुरा तहसील निम्बाहेडा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र [illegible] में तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त सेट[illegible] का नाम भगवान लाल की बजाय हिरालाल दर्ज हो गया। जबकी प[illegible] केसर बाई के पति का नाम भगवान लाल है। हिरालाल प्रार्थिया के ससुर है। ग्राम पंचायत [illegible] अपने प्रमाण पत्र केसर बाई– पत्नि भगवान ल[illegible] जाट है। सभी दस्त[illegible] आधार कार्ड ,अन्य जमाबंदी, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किये जिसके आधार पर केसर बाई पत्नि भगवान लाल दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा मिलान पर्चा पेश किया जिसके आधार पर पूर्व में केसर बाई पत्नि भगवान लाल दर्ज होकर जमाबंदी में अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 राजस्व ग्राम मकनपुरा पटवार हल्का गुढाखेडा के खाता सं0 35 में प्रार्थी श्रीमती श्रीमती केसर बाई पत्नि हिरालाल (ससुर)के के स्थान पर प्रार्थी खातेदार के पति का नाम श्रीमती केसर बाई पत्नी भगवान लाल जाति जाट दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested